डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2001—श्रावण 19, शक 1923

गृह विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 5904/गृह/2001.—नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था में सुधार करने एवं अपराधों को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन वर्तमान घोषित राजस्व जिला दन्तेवाड़ा के अंतर्गत बीजापुर को नया पुलिस जिला निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है. इस पुलिस जिले का मुख्यालय बीजापुर होगा. इस नए बीजापुर पुलिस जिले में संलग्न सूची के अनुसार थाने सम्मिलित किए जाते हैं.

2. नए बीजापुर पुलिस जिला निर्माण के साथ ही पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा उक्त सूची में वर्णित थानों के कार्यभार से मुक्त होंगे. राजस्व जिला दंतेवाड़ा के अन्य क्षेत्र पर उनका पर्यवेक्षण पूर्ववत् बना रहेगा.

3. उक्त आदेश 15 अगस्त, 2001 से प्रभावशील होगा.

जिला बीजापुर में सम्मिलित होने वाले थानों की सूची

1. बीजापुर (जिला मुख्यालय)
2. भोपालपट्टनम
3. भद्राकाली
4. तारलागुड़ा

5. मद्देड़
6. उसूर
7. बासागुड़ा
8. गंगालूर
9. कुटरू
10. बेदरे
11. फरसेगढ़
12. भैरमगढ़
13. मिरतूर (पिन कोंडा)
14. पामेड़
15. नुकुनपाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. राजपाल, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.